मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
Chief Electoral Officer, Uttarakhand

विश्वकर्मा भवन प्रथम तल, सचिवालय परिसर देहरादून 248001

प्रेस विज्ञप्ति

प्रेस नोट संख्या– 27 दिनांक– 21 अगस्त 2025

बिहार एसआईआरः मतदाता सूची के सम्बंध में दावे एवं आपत्ति दर्ज करने के लिए 10 दिन शेष

– निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में चलाया जा रहा है विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान

21 अगस्त 2025 (देहरादून) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार द्वारा अन्य समस्त राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर अन्य राज्यों में रह रहे बिहार राज्य के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। पत्र के अनुसार ऐसे मतदाता जिनका नाम वर्ष 2025 (प्रारूप प्रकाशन के पूर्व) की मतदाता सूची में शामिल है लेकिन विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद दिनांक 01 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल नहीं है, उन सभी मतदाताओं की सूची जिला अन्तर्गत विधान सभा एवं मतदान केन्द्रवार कारण सहित (मृत/स्थायी रूप से स्थानांतरित/अनुपस्थित/दोहरी प्रविष्टि) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार एवं सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार राज्य के वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है।

ऐसे सभी मतदाता, जो प्रारूप सूची में शामिल नहीं हैं, अपने ईपिक संख्या के माध्यम से इस सूची में कारण सहित अपनी प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिनांक 01.08.2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल नहीं होने वाले ऐसे मतदाताओं से संबंधित सूची बिहार राज्य के सभी प्रखण्ड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगर निकायों के कार्यालयों एवं मतदान केन्द्रों पर भी प्रदर्शित की गयी है, जिसके माध्यम से ऐसे मतदाता कारण सहित अपनी प्रविष्टि से संबंधित सूचना एवं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। असंतुष्ट व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

****